

12.18 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported spurt in the incidents of armed robberies and dacoities in banks and jewellery shops and the deteriorating law and order situation in Delhi and other parts of the country

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalapuram) : Sir, I call the attention of the Ministry of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

“The reported spurt in the incidents of armed robberies and dacoities in banks and jewellery shops and the deteriorating law and order situation in Delhi and other parts of the country and the action taken by the Government in the matter.”

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : Sir, one of the high priorities given by the Government since its assumption of office in the year 1980 has improvement in law and order and an effective check on the crime situation in Delhi. The government took note of the deteriorating crime situation in the preceding 2-3 years and took a number of steps in this direction. As a result of the various steps taken by the Government, there has been a significant decline in the crime rate in Delhi. However, during the year 1983, some rising trend was noticed, particularly under certain heads of crime. I am happy to inform the House that this trend was arrested and there has been only a marginal increase in the total number of crimes reported in 1983.

2. Considering the present size of Delhi and its fast rate of increase in population, some variation in the incidence of crime is possible and should not be taken as an indication of any deterioration in the law and order or crime situation. It is to the credit of Delhi Police that during the years 1982 and 1983 very successful and effective security and law and order arrangements were made by them in connection with a number of international events.

3. There have been only 15 cases of dacoity reported in the year 1983 in Delhi as compared to 22 such cases reported in 1982. There has been an increase in the number of robbery cases in so far as 211 cases were reported in 1983 as against 155 in 1982. However, Delhi Police have been able to work out a number of these cases. The more sensational of the worked-out cases include the dacoity committed in Jor Bagh Post Office, robberies in the United Bank of India, Greater Kailash, Canara Bank, South Extension Part I and residential houses in Hemkund, Gulmohar Park and Defence Colony, the silver robbery cases, the wine shop robbery case of South Delhi and also the sensational case of dacoity committed in a jewellery shop in Karol Bagh in November, 1983. It has been possible for the Delhi Police to apprehend quite a few inter-State gangs of criminals and also extremists involved in some of these cases.

4. Sir, the Hon'ble Members has an occasion during the current session itself, to discuss extensively the law and order situation in Punjab and Haryana. The law and order situation elsewhere in the country in the recent months has, by and large, been peaceful.

5. Even though law and order is a State subject, the Government of India have been concerned about the incidence of dacoities which have inter-State ramifications and looting of Banks. Some of the States have set up a Joint Coordination Committee of senior police officers to tackle the problem of dacoity coordinated manner. The planning Commission has set up a Working Group to work out a long-term socio-economic strategy to combat the dacoity problem in Chambal Valley area. The Government of India have addressed all State Governments to tighten the security arrangements in Banks. A high-powered Working Group set up by the Ministry of Finance gave a report on action to be taken to improve security arrangements in Banks. This report has been sent to all public sector banks, the Reserve Bank of India and all State Governments/Union Territories for implementation.

6. The Government are also seized of the increasing use of fire arms in the commission of crimes. In order to check this trend, a number of amendments to the Arms Act have been made recently.

7. I take this opportunity to reiterate the Government's firm commitment to the maintenance of law and order and would like to assure the House that all possible steps are being taken and will continue to be taken in this regard.

12.20 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सोनकर (बस्ती) : मुझे घकेल दिया गया, मेरा बैग वहां उठा लिया गया। यह क्या हो रहा है। (व्यवधान) बताइए यहां पर हाउस में क्या हो रहा है। सदस्यों के साथ क्या बरताव हो रहा है।

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hazipur) : Sir, the Police have assaulted him outside the Parliament House. He is a Member of Parliament and he was coming to Parliament to attend the House. What is going on here outside the Parliament ? Sir, you please listen to him.

(Interruptions)

PROF. MADHU DANDEVATE (Rajapur) : Sir, I have a submission to make. Sir, the hon. Member, Shri Kalpanath Sonkar, claims that when he was entering the Parliament House, he was pushed back and his bag was taken away by the Police. It is a very serious matter. I do not think any Presiding Officer would tolerate it. The hon. Member should be asked to narrate what has happened to him outside the Parliament House. Sir, he says he has been treated very badly by the Police. It is immaterial to whichever party he belongs.

(Interruptions)

श्री राम विलास पासवान : आज से चार दिन पहले हाल्दर जी के साथ ऐसा ही हुआ था। (व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : I inform the hon. Members that immediate inquiries are being made.

(Interruptions)

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, what do you mean by immediate enquiries ?

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : Then, what do you want to do ? Please tell me what do you want the Chair to do ?

(Interruptions)

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Sir, this is happening very near the Parliament House. I am not going to tolerate this kind of goodaism which has been meted out to an hon. Member of this House.

(Interruptions)

12.24 hrs

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जब मेंबर आ रहे थे उस वक्त कल्पनाथ सोनकर जी को पुलिस ने पटक दिया। इनका बैग भी ले लिया। इन्होंने अपना आई-डेंटिओ कार्ड भी दिखाया। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। पिछले दिनों श्री हाल्दर जी के साथ हुई। रोज ऐसा हो रहा है। यह हाउस है या पुलिस राज है।

PROF. MADHU DANDEVATE : Sir, you have been following certain procedure in the past that if any hon. Member has been treated badly by anybody, it is immaterial whichever party he belonged, you had allowed him to state the fact and you understood him and afterwards you had said "I will get the matter inquired into".

So, the hon. Member may be asked to state what exactly has happened. The whole House is interested in it. This is what I would request you. You take the decision.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : बैग अभी-भी पुलिस के पास है। ... (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सोनकर : मैं, रिसेप्शन पर गया क्योंकि मेरे आदमियों ने वहां आना था। मैं उनको ढूढ़ने के लिए रेल भवन की ओर गया। बाहर से जब अन्दर आने लगा तो दो दरोगा और तीन पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया। मैंने कार्ड दिखाकर कहा कि मैं एम० पी० हूं। इसके बाद उन्होंने मुझसे बैग दिखाने के लिए कहा। इतना कहकर मुझे धक्का दिया और बैग छीनकर रख लिया। ... (व्यवधान)

SHRI RAM VILAS PASWAN : He must set right immediately.

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh) : He must be suspended immediately. Before the House rises, he must be suspended.

अध्यक्ष महोदय : हाऊस तब नहीं चलेगा, जब हम कोई एक्शन नहीं लेंगे।

श्री राम विलास पासवान : दो दिन पहले हाल्दर साहब के साथ भी ऐसा हुआ था, तो आपने कहा कि मैं एक्शन लूंगा।... (व्यवधान)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : There is a limit to everything.

श्री जगपाल सिंह : पुलिस वालों को यहां पर बुलाया जाय।... (व्यवधान)

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हाऊस की कार्यवाही नहीं चलेगी।

SHRI CHANDRAJIT YADAV : You suspend him before the House rises. It is a serious matter. We will not take it so lightly.

MR. SPEAKER : I will just immediately take action. शांति से सारे काम होने चाहिए। कोई अनर्गल काम करता है तो उसके खिलाफ फौरन कार्यवाही की जायेगी।

SHRI RAM VILAS PASWAN : At least we will not come to Parliament.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Send the Marshal with him. Let the Marshal go. Let the Marshal and the Member go. Send the Marshal along with him.

12.28 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जब तक वह आदमी सस्पेन्ड नहीं हो जाता तब तक यहां कार्यवाही नहीं चलेगी।... (व्यवधान)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : It is a deliberate attempt on the part of the police personnel.. It may happen to me tomorrow, or to other Members. How can the police do this ?

MR. DEPUTY SPEAKER : Let us wait for the meeting to be over. They are meeting.

SHRI RAM VILAS PASWAN : You adjourn the House for half-an-hour.

MR. DEPUTY SPEAKER : We will find a solution. Hon. Members : the speaker

himself a very particular about this. He had come here, and he is talking with him. (Interruptions) What is this ?

(Interruptions) Then I will have simply to sit quiet.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY SPEAKER : Don't record anything till I tell you.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY SPEAKER : I will hear only one speaker. Who is speaking now ? If all speak, it will not go on record.

(Interruptions)**

PROF. MADHU DANDAVATE : We will all withdraw and go to the Speaker's chamber.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY SPEAKER : It is left to you.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : The Speaker has understood your feelings. He had come here and heard you.

(Interruptions)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : You adjourn the House. Let us see what takes place. This is a serious matter. It should not be taken like that.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : I cannot oblige. This is not the way.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Sethi, have you completed your statement ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. C. SETHI) : Yes.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now Shri Kusuma Krishna Murthy.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY SPEAKER : Do not record anything.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : Please do not record anything.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Members, I would very humbly...

(Interruptions)

SHRI RAM VILAS PASWAN : Request ?

MR. DEPUTY SPEAKER : I very humbly request you to resume your seats and you need not get agitated because the Speaker has already come and he asked me to vacate the Chair, and he has left. He is now in a discussion.

AN HON. MEMBER : Hon. Speaker is coming.

12.34 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो यह कहने आया हूँ कि मैंने सेक्रेटरी जनरल को और वाच एंड वार्ड अफसर को माननीय कल्पनाथ सोनकर के साथ मीके पर भेज दिया है और वहीं इमीडिएट एक्शन हो जाएगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तब तक हाऊस को ऐड नर्न कर दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : What more do you want ?

आपकी और हमारी इज्जत दो नहीं है ।

12.35 hrs

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalapuram) : The Minister has clearly stated that because of various steps taken by the Government there is a significant decline in the crime rate in Delhi particularly. And in the same statement against he has also stated that a rising trend was noticed particularly in certain heads of crimes. Besides, it is most gratifying to note and the Minister has stated it clearly, that in the recent international conferences held in Delhi, Police have taken steps to see that the law and order is maintained properly. It was commendable. But the growing insecurity of life and property at various levels and particularly in banks is creating an alarming situation in the country as whole. This has, in fact, shaken the faith of the people in the system as a whole. But the Government says that it is taking corrective steps in time. Is it a fact that the crime is increasing because of growing inequalities of income and wealth in the soci-

ety ? In a growing and developing society, there is no reason why crime rate should also be on the higher side. But the Government says that they are not sparing any efforts to control the crime rate. Still the incidents of robberies in banks and looting of other properties are on the high side. Therefore, I would like to know from the Hon'ble Home Minister whether the steps taken by the Government are not sufficient, not timely or ineffective.

SHRI P.C. SETHI : It is true that socio-economic conditions are one of the most important reasons for increase in crime rate. That is why, I have said that the Planning Commission as well as the Finance Ministry have set up working groups on this as to how to improve the situation. We are working in that direction. As far as security measures are concerned, I have already mentioned in my statement that they are being tightened.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Since this Government took over in the year 1980 there has been tremendous deterioration in the law and order situation. It appears that there is a total chaos in this country including the national capital. It does not appear that the Government is functioning. Today it is very unfortunate that the criminals are not being caught by the Police. The hon. Members of this House are being humiliated by the Delhi Police which has been posted here by the hon. Minister. What is happening in this country everybody knows that. In the entire country, murders are being committed, trains are being looted, buses are being looted and people are being killed. everything is happening in the country.

I would specially like to talk of this national capital where robberies, dacoities and other types of crimes like dowry deaths, etc. have become the order of the day. Here Baba Gurbachan Singh was killed. After that, killing of a foreign diplomat had taken place. A foreign ambassador was attacked by the criminals. Banks are also looted. Sometimes, the statistics which are given by the Government appear to be completely wrong. They are not at all convincing. They always try to show that there is some improvement in the law and order situation, though, in fact, it is not so. Law and order is deteriorating everyday in

this country. If the people in the national capital are not safe, what will happen to the people in the rest of the country? If the people are being killed here, dacoities are taking place, every sort of crime is taking place here, what will, in fact, be the condition of the rest of the people in the country?

The criminals in other parts of the country are just deriving inspiration from this. They are feeling that if in the national capital people's life is so, unsafe, then they can easily play havoc with the entire national life, with the life of the people. Criminals are acting totally fearlessly. They are not bothered at all about the law and the Government. It appears that the Government has totally failed and they do not have any fear from the Government. Banks are being looted throughout the country. It appears that the criminals have discovered a new area of crime and that is banks and they have started looting them. The Government has totally failed in checking this type of crime of looting the banks.

Train dacoity is also a routine work for the criminals. They can loot any train anywhere in this country. We have raised this particular point time and again in this House but no proper action is being taken by the Government. So far as U.P., Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, etc. are concerned, they have become heaven for the criminals. They can kill any number of people any moment at any time but they cannot be punished. I can give you certain data about the crimes which took place since this Government took over in 1980. Every day we are finding that the newspapers are full of crime reports. Since 1980 when this Government took over, in Kaphalta 16 harijans were killed. They were burnt alive. In Deoli 24 harijans were killed, in Sadhupur ten harijans were killed in Bahmai 30 persons were killed, in Etah district of Uttar Pradesh 21 persons were killed even a judge of the High Court was killed in Uttar Pradesh. This was the situation in U.P. and everyday you can see a number of crime reports appearing in the newspapers, many reports about murders which are taking place in various districts of U.P. Similarly, about Bihar I will give you certain data. In Monghyr many people were killed. Paras Bigah and Barhiya episode are well known to the people. In Pipariya 11 children were killed and the Government could not protect their

lives. I am having a newspaper report from Bihar. In this *hangama* I think I have lost that page. Here it is. This is published in *Aravart* which is a Hindi paper being published from Bihar. It reports on 16th March 1983 that during two years of time 6,000 people in Bihar were killed...

(Interruptions)

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Let him not provoke the situation, let him proceed further.

(interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Anything that is said in the House without the permission of the Chair does not go on record.

(Interruptions)**

I am not concerned with this side or that side, anything that is said in this House without the permission of the Chair does not go on record. I would only make a humble appeal to hon. Members of Parliament that this is not the way how an hon. Member should behave in the House. They are all self-respecting and decent gentlemen and their behaviour should be to that extent. I would respectfully appeal to the self-respect of every Member of this House that when you are being found fault with, it is beneath your self-respect.

I expect every hon. Member is a self-respecting gentleman, as the Chair is. To some extent, the hon. Members are, I expect even more self-respecting. I want to learn from the hon. Members.

Therefore, I would very much like to say that this Parliament has a history behind it. You see the photograph of the great man. This Parliament belongs to the biggest democracy of the world. If democracy has got to live in the world, it is in the functioning of the Parliament of India. Anything you want to say in this House; it is allowed unless it is unparliamentary or derogatory. So, everything depends upon the way in which you speak. We are sitting here only to regulate the proceedings. We have got to interfere, unfortunately, because you are finding fault with us. Some hon. Members came in, they never cared to bother that there was the Chair regulating the proceedings. They were aware of the fact that the proceedings were going on. How do you expect me to function? We do

not want to take a stick in our hands. Under the rules, I can easily suspend any hon. Member.

PROF. MADHU DANDAVATE : The matter is over. Please do not provoke them.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I follow your suggestion.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : What you have said about Parliament is very good. But you have not said anything about the dignity of the Members of Parliament.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am as much interested in them as you are, because I am a Member of Parliament.

(Interruptions)

SHRI HARIKESH BAHADUR : I was saying earlier that the police is not checking crime against people. What to speak of the public, even Members of Parliament, including Shri Kunwar Ram Shri Tariq Anwar and Shri Ram Swarup Ram were humiliated by the police at the time when Prime Minister went to Bihar. I am saying that you are not able to stop the crimes. Your police is only humiliating and insulting Members. The police do not appear to be discharging their legitimate function of stopping and checking crime. Both Shri Ram Swarup Ram and Shri Kunwar Ram were insulted by the police. We are in the opposition party, we can be put into difficulty by the police force any Time.

PROF. MADHU DANDAVATE : Let them do it; they will get the lesson of their life.

SHRI HARIKESH BAHADUR : The opposition people are insulted and humiliated. Even in this area where Parliament is situated they are not allowed to function properly.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have got a very big file in front of you; you can utilize it.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I want to bring to the notice of the hon. Minister that on the 16th March 1983 the *Aryavarta* carried a news item that within two years, in 1981 and 1982, in Bihar 6,000 people were killed.

This is the law and order situation in that State. Similarly, if you see Madhya

Pradesh, Rajasthan and everywhere, you will find that there are a number of reports which are appearing in the newspapers regarding killing, dacoity and other things. Hon. Member, Shri Virdhi Chander Jain, will let you know about the killings which are taking place in Rajasthan. Recently a news item has been published, which is very alarming. Now, the hon. Prime Minister of this country feels, or perhaps the Congress (I) people feel, that she is the Prime Minister of the Ruling Party only, while we feel that she is the Prime Minister of this country including us also. She is our Prime Minister also. But neither she feels nor her Party people feel that she is the Prime Minister of the country. She has gone to Sultanpur. Two Harijans were killed there. But I do not know whether she had visited that place or not. I do not think that she had gone to that particular place on account of that incident. Only for a *tamasha* she had gone there and she did not visit that place otherwise.

Now I would like to give an example. Very recently, in Barkotgaon of Dehra Dun District, a Congress (I) leader I have got his name also, but I do not want to quote his name had attacked some villagers of that particular village. The police is also not investigating the matter properly because the police is afraid that if they are going to take any action against that particular person, they will be in trouble. And that is why criminals are just roaming here and there, they are not being caught at all. Three or four persons who were injured had been admitted in Dehra Dun hospital. This kind of things are going on in this particular regime.

So far as secessionist forces are concerned, about which all the time the Prime Minister is also talking, she had gone to Sultanpur, she had charged the Opposition for supporting such type of forces, I would like to clearly point out to the hon. Home Minister if he is really knowing anything I do not know what he is listening to he is not listening to me; then how will he reply when you call him?

MR. DEPUTY-SPEAKER : For one year he has been lending his years to you.

SHRI HARIKESH BAHADUR : No, no. He has not been lending any years to me. This is the position. When the Home

Minister does not listen, what will happen to the police force? They will definitely do all these things, which they are doing.

So far as the secessionist forces are concerned, I would like to point out very clearly that secessionist forces are not being encouraged by the Opposition, but by the Ruling Party. When in Tripura there had been an election, there had been an election alliance with Yuva Upajati Samiti of Tripura. That is completely a secessionist organisation. If this kind of organisations are being encouraged by the Ruling Party, how do they expect that the secessionist activities in the country will not go on? About what is happening in Punjab we have talked a lot. Punjab is burning today, and the Government has failed in finding out a solution so far. Harijan atrocities, communal riots, dowry deaths and all sorts of crimes are taking place in this country without any check and criminals are always feeling that there is no Government, there is no law, they can do whatever they like. Why is crime there? This is also a very important thing because we are observing that several anti-social elements at various places in this country are being protected by the Ruling Party people and at the same time by the police forces also. When the Ruling Party people are giving protection to the criminals, definitely the police officers will give protection to them because they feel that if they take any action against such type of elements, they will be in trouble.

About Narainpur episode, I would like to clearly point out... (*Interruptions*).

Sir, before the Home Minister leaves this place, I would like to say one thing. In Indore the law and order situation is not good. That is perhaps his own town.

SHRI P. C. SETHI : That is my worry, not yours.

SHRI HARIKESH BAHADUR : That is correct, but you are, unable to do anything. That is why it is my worry. That is part of my country, my nation. That is why I am worried. Even the Congress (I) General Secretary, an hon. Member of this House, Shri Rajiv Gandhi, had discussed this matter with the Home Minister and he is telling that it is his worry. His worry is only Indore, not the rest of the country.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Come to your question now.

SHRI HARIKESH BAHADUR : On 25th September 1983, in the newspaper *Nai Dunia* which is published from Indore, it has been clearly mentioned that Mr. Rajiv Gandhi held a discussion with Mr. Sethi and Mr. Sethi is unable to do anything. He is simply saying that it is his worry.

About Narainpur episode, I may state that something happened there. Judicial enquiry was instituted. The finding of the judicial enquiry says that in Narainpur nothing has happened. But the Prime Minister after taking over in 1980 went to Narainpur. She dismissed the Government of Uttar Pradesh which was headed by Shri Banarsi Das and the hon. Member of the House at present. That Government was dismissed. Now, so many crimes are taking place in various parts of the country as I have narrated. No action is being taken against any Congress (I) ruled States or where there is Congress Party rule. This shows clear discrimination because Government does not want to take action against these States which are being ruled by Congress (I) as that is the ruling party at the Centre. That is why crime is increasing and the Government has totally failed. They are not instituting judicial enquiry also because they are not at all interested in checking the crime. That is why my charge is that this Government has completely collapsed. They should, therefore, resign and go immediately. They have got no moral right and authority at all to now remain in power. It would be better if the Home Minister announces his resignation here and now.

AN HON. MEMBER : Why not the Prime Minister ?

SHRI P. C. SETHI : First of all I straightway deny the charges. He said that Government is encouraging the secessionist forces.

As far as law and order situation is concerned, he said that it was much better during 1980. I would like to quote some figures. In 1980, the total number of dacoities were 15194 while in the first half of 1983 they are 5732. I am giving All-India figures.

Robberies in 1980 were 23493. In the first half of 1983 they are 10079. This shows an improvement in the figures,

As far as bank robberies are concerned, now certain steps have been taken. Drop gates have been set up on the main roads leading outside Delhi. Police personnel and vigilance personnel have been increased on vulnerable places. Intensive checking of hotels and guest houses is being done regularly to locate extremists. A watch is being kept at possible hide outs. A co-ordinated system of patrolling with wireless fitted motor cycles police station vehicles and control room cars has been brought into effect. Police pickets have been set up at certain strategic points. The communication system is being modernised. Orders have been issued prohibiting the carrying of hand bags into cinema halls and other places.

As far as the crimes in Railways is concerned, certain steps have been taken. The drivers of the trains have been directed to sound the distress whistle if the train is brought to an unscheduled halt so that the guard party is put on the alert. Coach attendants have been instructed to remain vigilant. The Research, Designs and Standards Organisation of the Railways have been advised to suggest improvement in the locking arrangement and so on and so forth.

So, all possible action is being taken. It is not correct to say that the crime situation is bad as compared to what it was in 1978-79, 1979-80.

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : There is no law and order in Bihar.

(Interruptions)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य को देख रहा था। उन्होंने पैरा-2 में लिखा है कि दिल्ली के वर्तमान आकार और तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, अपराध की घटनाओं में कुछ परिवर्तन होना संभव हो सकता है और इसे विधि व व्यवस्था अथवा अपराध स्थिति में किसी गिरावट का संकेत नहीं मानना चाहिए। केवल एक इसी लाइन से आपकी मंशा का पता चल जाता है। अपराधों की बढ़ती हुई स्थिति को आप विधि व्यवस्था में गिरावट नहीं मानते हैं। क्योंकि आप यह समझते हैं कि अपराध विधि व्यवस्था की द्योतक नहीं है। बढ़ते हुए

अपराधों का अर्थ विधि-व्यवस्था में गिरावट नहीं होता है। मुझे आश्चर्य है - मन्त्री महोदय बढ़ते हुए अपराधों को विधि-व्यवस्था की गिरावट नहीं मानते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ - इस सरकार ने जब से सत्ता सम्भाली है - इनका इलैक्टोरेट के सामने यही कहना था कि हमारी सरकार वह सरकार है जो काम करती है, लेकिन इन का काम करने का तरीका यह है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह कह रहे हैं कि विधि-व्यवस्था ठीक है।

आपने इस वक्तव्य में कुछ आंकड़े दिये हैं, लेकिन हमारे पास भी कुछ आंकड़े हैं, जो सरकार ने राज्य सभा में और इस सदन में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में दिये हैं। इस वक्तव्य में लिखा है कि 1983 में दिल्ली में डकैतियों के केवल 15 मामले सूचित किये गये, जब कि 1982 में 22 मामले सूचित किये गये थे और इसके आधार पर इन्होंने मान लिया कि अपराधों की संख्या में कमी हो रही है। मैं गृह मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ - 22-11-1983 को राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बतलाया था - 1983 में 13 डकैतियां हुईं और 1982 में 22 हुई थी। ये आंकड़े आज के वक्तव्य के आंकड़ों से कहां तक मेल खाते हैं - आप स्वयं तुलना करके देख सकते हैं।

इस वक्तव्य के पैरा 3 में आप लिखते हैं - 1983 में डकैतियों के केवल 15 मामले सूचित किये गये, जब कि 1982 में ऐसे 22 मामले सूचित किये गये। लेकिन उसके बाद आप कहते हैं - डकैतियों के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1983 में 211 हुई जब कि 1982 में 115 मामले सूचित किये गये। मुझे तो आप के ये आंकड़े समझ में नहीं आते।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आप डकैती और राबरी में फर्क नहीं कर रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं तो आप के ही वक्तव्य को उद्धृत कर रहा हूँ। आप ने पैरा 3 में लिखा है कि 1983 में

डकैतियों के 15 मामले सूचित किए गये, जब कि 1982 में ऐसे 22 मामले सूचित किये गये थे। उसके बाद आप कहते हैं कि डकैतियों के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है 1982 में 155 मामले सूचित किये गए थे जब कि 1983 में 211 मामले सूचित किये गये...

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : डकैतियों और लूटपाट की घटनाओं में फर्क होता है। यहां टार्निंग मिस्टेक है।

MR. DEPUTY SPEAKER : What is the Hindi translation to "dacoity" ? Is there no word for "dacoity" ?

SHRI RAM VILAS PASWAN : Robbery means lootpat. Dacoity means; dacoity. The English people took this word "dacoity" from Hindi because there was no dacoity in England.

प्रो० अजित कुमार मेहता : पहले चोरी, डकैती, रात के अन्धेरे का लाभ उठा कर की जाती थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि दिन-दहाड़े भीड़ भरे इलाके में भी डकैतियां होती हैं और आप के अनुसार विधि व्यवस्था में सुधार हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ - अभी दो-चार दिन पहले कि बात है - दिल्ली के अन्सारी रोड पर दिन-दहाड़े बहुत बड़ी डकैती हुई। और पुलिस वहां से दूर नहीं थी बल्कि नजदीक ही थी और नजदीक में जहां डकैती हुई थी, वहां पुलिस के लोग चाय पी रहे थे। फिर भी डकैती नहीं रोकी जा सकी और अपराधियों को न पकड़ा जा सका। तो यह आप की विधि व्यवस्था में गिरावट आने का एक उदाहरण है।

बिहार में श्री हरिकेश बहादुर ने बहुत से अपराधों की संख्या गिनाई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये अपराध केवल बैंक का हत्या तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि सरकारी अफसर, पुलिस के अफसर, संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्य भी नहीं बच पाए हैं। बिहार में एक संसद सदस्य के जीवन पर हमला हुआ और बिहार में ही विधान सभा के एक सदस्य की दिन-दहाड़े हत्या हुई और कुछ दिन पहले एक दूसरे सदस्य के गोली मार दी

गई और कालान्तर में उस की मृत्यु हो गई। देश में दिनदहाड़े हत्या हो रही हैं। एक एस० पी० को रोड पर कुचल दिया गया। क्या कर लिया आपने इसके लिए। इसके अलावा पटना में वहां के डी० एम० ने प्रधान मन्त्री की सभा में वहां के हरिजन संसद सदस्य श्री राम स्वरूप राम की बेइज्जती की और मना करने पर सत्तारूढ़ दल के श्री तारीक अनवर और एक विधायक की पुलिस से झड़प हुई, जिस में अधिकारियों ने उन पर एफ० आई० आर० भी दर्ज की और आप कहते हैं कि विधि व्यवस्था में गिरावट नहीं आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, विधि व्यवस्था में सुधार केवल कुछ तात्कालिक उपाय अपनाने से नहीं होता है। लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि अगर हम अपराध करेंगे, तो अपराध करने पर सजा मिलेगी और अपराध करने पर अपराधी छुटेंगे नहीं और पकड़े जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो स्थिति में काफी सुधार की संभावना है किन्तु ऐसा होता कहा है? अब तो अपराध करने वाले को पुरस्कार दिया जाता है। आप भूले नहीं होंगे कि उत्तर प्रदेश के दो व्यक्तियों को, जो प्लेन को हाइजैक करने में शामिल थे, उन को क्या पुरस्कार दिया गया था। उन को विधान सभा का टिकट दिया गया, जिससे वे सत्ता में आवें। ऐसी स्थिति में क्या आप सोच सकते हैं कि विधि व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है? जो अपराधी है, उसको आप समाज में प्रतिष्ठा देंगे या ऐसा कोई काम करेंगे, जिससे उस को प्रतिष्ठा मिले, तो क्या इससे अपराध रुकेगा। आज कौन नहीं जानता है कि अपराधियों को संरक्षण मिलता है राजनीतिज्ञों से और सत्तारूढ़ दल से, जिस के मैंने उदाहरण गिनाए हैं। होता क्या है कि जब आवश्यकता पड़ती है, जनता के वोटों की तो इनको जरूरत नहीं है, उस वक्त वोट गिनवाने के समय या अपने बक्से में ऐसे ही वोट डलवाने के लिए, ये ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं। जनता ने चाहे इन्हें वोट दिये हों या नहीं, ये बदमाशों और अपराधियों से बूथ केप्चर कराकर अपने बक्से में वोट

डलवाते हैं और इस तरह से इन का काम चल जाता है और इसलिए अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। इसके मैसे उदाहरण दिये हैं कि अपराधियों को आपने संरक्षण दिया है और ऐसे अपराधी किस प्रकार विधान सभा में चुनकर आते हैं, यह मैं ने बताया है। उन पर आठ-आठ और दस-दस केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं तस्करी और डकैती के और वे चुन कर आ जाते हैं और उन को आपने अपने दल में शामिल किया है। यही नहीं कि चुनाव जीतने से पहले उन को टिकट दिया हो बल्कि चुनकर आने पर आप ने उनको अपने दल में शामिल किया है। ऐसा उदाहरण है और काफी दूर का नहीं, बिहार का ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज को सही ढंग से संचालित करने के लिए नियम बनाये जाते हैं और उन नियमों का पालन करने के लिए संस्थाएं बनती हैं। इन संस्थाओं के नियमों में समयानुसार परिवर्तन किये जाने चाहिए जो कि समयानुकूल हों। मैं समझता हूँ कि कुछ परिवर्तन किये गये हैं लेकिन उनका मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। हमें यह भी देखना होगा कि क्या उन परिवर्तनों से लाभ हुआ है या हानि हुई है।

कुछ दिन पहले न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया। इससे लाभान्वित कौन हुआ? न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग हो जाने से लाभान्वित हुए अपराधी। फिर लाभान्वित हुए अधिवक्ता। तीसरे पुलिस लाभान्वित हुई। 1973 में जो दण्ड प्रक्रिया में संशोधन हुआ था, उसके अन्तर्गत न कार्यपालिका और न ही न्यायपालिका का उसके प्रति सम्मान बचा है। ऐसी स्थिति में पुलिस के ऊपर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है।

पुलिस के साथ जनता का असहयोग रहता है क्योंकि पुलिस को जो प्रशिक्षण अंग्रेजों के जमाने में प्राप्त होता था, उसी प्रकार का प्रशिक्षण आज भी प्राप्त हो रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि पुलिस कर्मचारी समाज के प्रति शिष्ट और नम्र नहीं रहता। इसलिए समाज के शिष्ट लोग भी उसके साथ कम से कम

सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं और उसके साथ सहयोग नहीं करते हैं।

जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो पुलिस अपराधियों को पकड़ने में कहां तक सफल होगी, यह आप सोच सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस बल में अनुसंधान की आधुनिक तकनीक का अभाव है। इसके कारण भी वह अपराधियों को पकड़ नहीं पाती। अगर पकड़ भी पाती है तो उचित समय पर नहीं पकड़ पाती।

लोग परेशानी से बचने के लिए एफ० आई० आर० दर्ज नहीं कराते हैं। पुलिस वाले भी दर्ज करने में तरह तरह के बहाने बनाते हैं। आपने जो आंकड़े दिये हैं कि अपराधों की संख्या में कमी आ रही है, वे गलत हैं। बहुत से अपराध तो आप के यहां दर्ज ही नहीं होते। जब पूरे अपराध दर्ज नहीं होंगे तब यह कहना कि अपराधों की संख्या में कमी आ रही है, संतोषजनक स्थिति नहीं है। इससे आप भ्रम में रहेंगे और वास्तविकता से दूर रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस बल में जो भर्ती की प्रक्रिया है, उसमें बहुत से लोगों का खयाल है कि उनका झुकाव समाज के उच्च वर्ग और ऊंची जाति की तरफ रहता है। नतीजा यह होता है कि पुलिस बल में समाज के ऊंची जाति के लोग ही अधिकतर भर्ती होते हैं और उनकी सहानुभूति निम्न वर्ग के लोगों से नहीं होती। ऐसी स्थिति में उनसे न्याय की उम्मीद करना बेकार है।

इसके अलावा बैंकों की सुरक्षा का प्रबंध उचित नहीं होता। आपको मालूम होगा कि बहुत से बैंकों में सशस्त्र पहरेदार भी नहीं हैं और पहरेदार हैं तो उनके पास बहुत पुरानी बन्दूकें हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बैंक में सशस्त्र पहरेदार रखे जाएं और उनको रिवाल्वर दी जानी चाहिए ताकि वह बदमाशों को उसी समय पकड़ सके। इसके अलावा बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें ऐसी स्थिति में पुलिस स्टेशन पर अलार्म बजे और पता चल जाए कि वहां पर इस तरह की कोई घटना हो रही है।

आज पुलिस की क्या हालत है। उत्तर प्रदेश में सीतावली गांव में हरिजनों के यहां डकैती हुई और आप सोच सकते हैं डकैती में हरिजनों के यहां से क्या मिल सकता है। सिर्फ उनका दमन करने के लिए वह डकैती की गई। जब ओम पाल त्यागी नाम के सज्जन ने पुलिस को जानकारी देनी चाही तो उसी को घमकी दी गई। ऐसी स्थिति में आप कैसे सोच सकते हैं कि विधि व्यवस्था में सुधार के कोई आसार हैं। पत्रकार अगर इस बात को सामने लाएं तो पत्रकारों पर भी हमला होता है। उनकी जान ली जाती है। ऐसी स्थिति में आपके सामने कैसे कोई अपराध के उदाहरण ला सकता है।

ऐसी स्थिति में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार विधि आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करेगी। क्या उसकी अनुशंसा के अनुसार पुलिस प्रशासन में अनुसंधान और विधि व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। पुलिस के ऊपर जितने भी आयोग बने हैं उनकी अनुशंसाओं पर क्या कार्यवाही की गई है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पुलिस कार्यक्रमों में जनहित के लिए सचेष्ट होने या आम नागरिकों के प्रति शिष्ट होने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था आप करेंगे क्या ?

तीसरा यह कि पुलिस बल में समाज के विभिन्न वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के बारे में क्या आप विचार करेंगे ?

बैंकों की सुरक्षा प्रबंध बढ़ाए जाएंगे क्या ?

इन प्रश्नों का उत्तर मैं माननीय मन्त्री महोदय से चाहता हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य ने कई माननीय सदस्यों के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनका जिक्र किया है। इनका मुझे भी अफसोस है। हमारी नजर में सब पार्लियामेंट के सदस्यों का सम्मान होना चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जब कभी इस तरह की घटना मेरी नजर में लाई जाती है मैं तुरन्त उस पर कार्यवाही करता हूं।

जहाँ तक बैंकों की सुरक्षा का प्रश्न है,

इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाने का जो सुझाव दिया गया है, वह उत्तम सुझाव है और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे।

पुलिस में भरती में किसी जाति विशेष का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। पुलिस बल में भरती के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें इस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया गया है जिसमें एक हरिजन, एक शेड्यूलकास्ट, एक मायनारिटी, इस प्रकार से उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : जितने लोग भरती होते हैं, उनका परसेंटेज निकाल देखेंगे तो पता चल जाएगा।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : परसेन्टेज हमारे पास आता है। उससे हमें मालूम हो रहा है कि भरती में काफी सुधार हुआ है।

... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : बिहार सरकार ने आपके पास गलत रिपोर्ट भेजी है। मैंने इसलिए दुबारा लिखा है कि यदि सरकार का कहना सही होगा तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Jaipal Singh Kashyap.

PROF. MADHU DANDAVATE : We thought that after him we will adjourn for lunch.

MR. DEPUTY SPEAKER : He is last Member.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna). He will take half an hour.

MR. DEPUTY SPEAKER : What to do ? You must all co-operate. If I stop in the middle, you will find fault with me.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I am always co-operating,

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Kashyap will always stick to the time. I know that.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी ने लाँ एण्ड आर्डर की समस्या पर जो अपना ब्यान दिया है, उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि जो कानून और व्यवस्था है, वह कुछ उस

वर्ग के लिए सीमित रह गई है जिसकी सुरक्षा की सरकार को ज्यादा चिंता है। माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि यह दिल्ली पुलिस का श्रेय है कि 1982-83 के दौरान उसने कई अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में बहुत ही सफल तथा कारगर सुरक्षा का प्रबन्ध किया था। यह बात ठीक है। वी० आई० पी० की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन, जो साधारण लोग हैं, उनका जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आम जनता यह कहती है कि जितना हमें डाकुओं और असामाजिक तत्वों से डर है, उतना ही पुलिस से भी डर है। अन्तर इतना है कि डाकुओं से रात को राहजनी से दिन में और पुलिस से चौबीसों घंटे डर बना रहता है। पुलिस, मार-पीट ही नहीं करती बल्कि माताओं और बहनों की अस्मत् से भी खेलती है। ऐसी हजारों शिकायतें सरकार के सामने हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में ही आपका प्रशामन उलझा रहता है, उसे आम जनता की सुरक्षा का कोई मौका ही नहीं मिलता। पश्चिमी दिल्ली में फ्राइम्स कम है और जहां पर पुलिस स्टेशन ज्यादा हैं, वहां फ्राइम्स भी अधिक हैं जहां थाने कम हैं, वहां फ्राइम्स भी कम हैं क्योंकि वहां की जनता ने अपना उत्तरदायित्व समझ लिया है। वे समझते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। जहां पुलिस स्टेशन ज्यादा हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन से जनता का विश्वास हटता चला जा रहा है क्योंकि कहीं पर जजों को पीटा जाता है और आज जो कुछ माननीय सांसद के साथ हुआ, वह सारा का सारा मामला सामने आ गया। बरेली के मामले को ले लीजिए। वहां पर बार एसोसिएशन ने कितने दिनों तक हड़ताल की, इसकी जानकारी आपको है। इस तरह का तमाशा..... (व्यवधान).....

श्री मधु बन्डवते : आप डरिए मत, तमाशा शब्द अन-पार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैं डरता नहीं हूँ। बरेली में पुलिस और वकीलों का युद्ध क्षेत्र बन गया है। पुलिस ने हरेक के चैम्बर पर बाकर कहा कि कोई पैरवी नहीं करेगा।

पुलिस ने असामाजिक तत्वों को बुलाकर प्रदर्शन करवाया। उसके बाद एस० एस० पी० बरेली ने अपने दफ्तर में उन लोगों को चाय पर बुलाया जिन्होंने पुलिस के फेवर में काम किया था। सब शिकायतें आपके पास हैं। आप पत्रकारों के मामले को ले लीजिए।

कहीं बांदा में हत्या होती है तो कहीं दूसरी जगह होती है, भूठे फंसाने की घमकी दी जाती है। उन्हें हमेशा अपनी जान का डर बना रहता है। पूरे देश में यही हालत है। प्रजातन्त्र के जो स्तम्भ हैं, चाहे जुडिशियरी हो, या पत्रकार हों, जनता की तो बात ही कुछ नहीं कही जा सकती, कोई सही सलामत नहीं रह सकता। चाहे बरेली के भगवानपुर की बात हो या बदायूं की, जो भी मामला पुलिस प्रशासन के खिलाफ होता है तो उसको इतना लम्बा कर दिया जाता है कि लोगों को न्याय ही नहीं मिल पाता।

फ्राइम्स को कैसे कम किया जाय इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पत्रिकाएँ जो निकलती हैं वही लोग ज्यादा पढ़ते हैं जिनमें फ्राइम की चर्चा है। सच्ची कहानी है, पूरा का पूरा जजमेंट कोर्ट का और उसमें कुछ मनगढ़न्त कहानी जोड़ कर पत्रिकाओं में छाप देते हैं भयंकर फोटो छाप देते हैं, औरतों की तस्वीरें होती हैं, पुलिस की फ्राइम करते हुए छुरी, पिस्तौल मारते हुए तस्वीरें होती हैं जो हमारे समाज में खूब बिकती है। आप किसी भी बुकस्टाल पर देख लीजिए, ऐसी पत्रिकाएँ खूब बिकती हैं। तो फ्राइम बढ़ेंगे अगर उनका प्रचार होगा। टी० वी० पर या सिनेमा में युवक जाते ही सबसे पहली बात यही सीखता है कि फ्राइम कैसे किया जाय और उससे कैसे बचा जाय। पुलिस में और उनमें दोनों में लुकाछिपी है। पुलिस एफ० आई० आर० पूरी नहीं लिखती है। मन्त्री जी आप नई दिल्ली स्टेशन पर चले जाइये और बुक स्टाल पर अपनी अटैची रख कर चले जाइये लौट कर आपको वह अटैची वहां नहीं मिलेगी। यहाँ 200, 300 क्रिमिनल्स हैं जो घूमते रहते हैं और पुलिस उनको पहचानती हैं और यही लोग स्टेशन पर फ्राइम करते हैं।

अगर सही माने में आप फ्राइम कम करना

चाहते हैं, क्राइम होता है बन्दूक, रिवाल्वर, पिस्तौल से, जिसका मुकाबला जनता नहीं कर पाती क्योंकि जन साधारण के पास वह हथियार नहीं होते, बल्कि मामूली डंडा, छुरी चाकू होता है, बन्दूक वगैरह तो अपराधियों के पास होते हैं और उनमें कारतूस चलते हैं। आपको देखना चाहिए कि वह कारतूस क्रिमिनल्स के पास कहां से आते हैं? या तो लाइसेंस होल्डर्स उनको देते हैं, या फिर पुलिस से उनके पास जाते हैं। बहुत सी ऐसी कहानियां छपी हैं पत्रिकाओं में कि जहां पुलिस गई, जैसे एटा में जब पुलिस गई तो सबसे पहले उसने कारतूस के खोल बटोरने शुरू किये ताकि उनको जमा करके उसकी जगह नए रख दिये जायें। अखबारों में रोज आता है कि डाकुओं को कारतूस चले जाते हैं। 70 फीसदी क्राइम घट सकते हैं अगर बन्दूक, राइफल, पिस्तौल और रिवाल्वर के कारतूसों की पुस्त पर नम्बर आप अंकित करा दें। जिस लाइसेंस होल्डर का कारतूस होगा अगर वह कारतूस किसी क्रिमिनल के पास पाया जाता है तो वह भी बराबर का जिम्मेदार होगा। अगर आप ऐसा करें तो अपराधियों को असलहा नहीं मिल सकेगा। बाकी जो मामूली हथियार हैं उनका मुकाबला लोग कर सकते हैं। अगर आप विदेशों से कारतूस लेते हैं तो उनसे भी शर्त रख लें कि जब माल बेचें तो कारतूसों पर नम्बर लग जायें। इस प्रकार चाहे देश में बने कारतूस हों, या विदेश से आये हुए हों अगर उन पर नम्बर अंकित हो जायें तो 70 फीसदी क्राइम घट सकते हैं। थोड़ी दिक्कत जरूर हो जायगी कि पुलिस वाले अभी जो दो कारतूस ला कर दफा 25 में चालान कर देते हैं वह नहीं कर पायेंगे। इससे झूठा फांसने में पुलिस को थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन देश में 70 फीसदी क्राइम घट जायेंगे।

दूसरी चीज, कानून में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप को परिवर्तन करना होगा जिससे बेगुनाह लोग फांस न जा सकें और गुनाहकार छूट कर ना जा सकें। आपका पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्ट हो गया है कि जो इन्वेस्टीगेशन कर रहा है, उसमें भ्रष्टाचार, रिश्वत पैसा हर

चीज चलती है। इस दिल्ली में अरबों-अरबों और करोड़ों-करोड़ों रुपया खोमचे वालों, और ठेले वालों से हर थाने का महीने में बंधा हुआ है। एक-एक खोमचेवाले, ठेलेवाले और दुकानदार संपैसा लिया जाता है। इससे कितना पैसा बँठता होगा, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। इससे और भी समस्याएं खड़ी होती हैं, जिनके बारे में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। आप इन चीजों पर गंभीरता से सोचें और क्या सरकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में परिवर्तन करेगी? सरकार पुलिस को सारा काम दे दे, लेकिन जो इन्वेस्टीगेशन का तफतीस का काम है उसके लिये एक मजिस्ट्रेट को लगा दे। हाईकोर्ट के अधीन सैकिड क्लास मजिस्ट्रेट को एप्वाइन्ट कर दे या दूसरी मशीनरी कर दे जो कि इन्वेस्टीगेशन का काम करे। इस तरह से क्राइम रोके जा सकते हैं।

आप कहते हैं कि दिल्ली में अपराध घट रहे हैं, आप इसके आंकड़े दे सकते हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं। आम लोगों में आज बहुत असुरक्षा महसूस की जा रही है। रेलों में बसों में सब जगह वह सुनाई देता है। यहां तक कि अगर किसी खास केस में कोई एडवोकेट अच्छी बहस कर देता है तो क्रिमिनल बाहर निकलकर कहता है कि आपने मेरे खिलाफ ऐसी बहस की, सबूत पेश किये मैं तुम्हें देख लूंगा। वह उसको डराता है। अगर वह किसी क्रिमिनल को डिफेंड कर देता है तो पुलिस वाला कहता है कि वकील साहब कैसी बहस की है, तुम्हें देख लेंगे। ऐसी बहुत सी शिकायतें आती हैं। आप को यह तरीका बदलना पड़ेगा, इस पर गंभीरता से आप विचार करें। यह पार्टी का मामला नहीं है। संसद-सदस्य, विधान-सभा सदस्य, बी० आई० पी०, सरकारी कर्मचारी या पत्रकार को बेईज्जत किया जाता है तो उसको कोई संरक्षण नहीं मिल पाता है। इससे देश में बहुत गंभीर स्थिति पैदा होती जा रही है। ला एंड आर्डर पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। यह सब की समस्या है। जो भी दल आयेगा उसको इसे फेस करना पड़ेगा।

इस समस्या का समाधान करने के लिये आप जल्द से जल्द कानून में परिवर्तन कीजिए

और जो मैंने सुझाव दिये हैं, उन पत्रिकाओं और अखबारों को पाबन्दी लगाइये जिनमें इस प्रकार की घटनाओं को दोबारा छापा जाता है, कहानियां बनाई जाती हैं जिससे लोग क्राइम करना सीखते हैं। क्या सरकार इन क्राइम्स को रोकने के लिये इस तरह के सुझाव पर विचार करने जा रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। एक तो यह है कि ऐसी पत्रिकाएं जो इस प्रकार के क्राइम्स की मनोवृत्ति को बढ़ाने को प्रोत्साहित करती हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये, यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है और मैं इस बारे में इंफार्मेशन ब्राडकास्टिंग मिनिस्टरी के साथ चर्चा करूंगा। जहां तक कारतूस पर निशान लगाने का सवाल है, यह अच्छा सुझाव है चाहे इम्पोर्ट किया हुआ कारतूस हो या भारत में बना हुआ हो, उन पर निशान रहेगा तो यह बात सही है कि यह पता लगाया जा सकता है कि यह कारतूस किस लाइसेंसहोल्डर को मिला है और अगर कारतूस उसके पास नहीं है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

जहां तक क्रिमिनल प्रोसीजर को अमैंड करने का सवाल है, वह सारा विचाराधीन है लेकिन इस बीच क्राइम को और इन्वेस्टीगेशन को अलग करने पर गृह-मन्त्रालय में अलग से विचार चल रहा है ताकि क्राइम का इन्वेस्टीगेशन दूसरा करे और क्राइम रजिस्टर दूसरी ब्रांच करे। इस बात की हिदायत पुलिस को दी गई है कि एफ० आई० आर० रजिस्टर करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न करे और जितनी भी शिकायत आये उन सब की एफ० आई० आर० तुरन्त दर्ज की जाये।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : दोनों को अलग-अलग करेंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अभी तो मैंने कहा है।

13.35 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty-five minutes past Fourteen of the Clock

The Lok Sabha re-assembled, after lunch, at forty two minutes past Fourteen of the Clock.

14.42 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY SPEAKER : Now matters under Rule 377. Shrimati Madhuri Singh.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need for providing requisite facilities in Purnea (Bihar) which has been declared industrially backward area.

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिमा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत क्षेत्रीय समस्या की ओर आप का ध्यान दिलवाना चाहती हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्णिमा (बिहार) गत 6 माह से औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किया गया है, परन्तु जो सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक पिछड़े क्षेत्र को मिलनी चाहिए वह अभी तक इस क्षेत्र में प्राप्त नहीं हो रही हैं जिसके कारण क्षेत्र में सार्वजनिक उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं।

साथ ही विद्युत समस्या भी इस क्षेत्र में बहुत है। इसके समाधान हेतु यहां पर (पूर्णिमा) विद्युत घर बनाने हेतु सर्वे हुआ, वह कार्य भी विगत एक वर्ष से लम्बित है।

मैं केन्द्रीय सरकार से पुरजोर अनुरोध करती हूं कि इस समस्या को बिहार सरकार द्वारा हल करवाने का प्रयास किया जाय जिससे लाखों नागरिकों को लाभ मिल सके।

(ii) Non-payment of sugarcane arrears by Mahalaxmi Sugar Mills, Iqbalpur (U. P.) and need to take it over.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत "दी महालक्ष्मी शुगर मिल्स इकबालपुर (जनपद सहारनपुर, उ० प्र०)" के कई वर्षों से बीमार चलते रहने की ओर सरकार एवं सदन का ध्यान आकृष्ट कई बार करा चुका हूं और इस मिल का अधिग्रहण करने हेतु अनुरोध भी कर चुका हूं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ पुनः कहना पड़ रहा है कि इस संदर्भ में आज तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया। परिणामस्वरूप गन्ना किसानों का करीब ढाई करोड़ रुपया गत वर्ष एवं चालू पेरार्ड वर्ष में इस